राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 03 / 2022

कैलाश पुत्र सुरजा आयु 52 वर्ष जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 16 प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अपीलाण्ट

ब–ना–म

1. केला देवी पत्नी स्व. कैलाश्र आयु 55 वर्ष
2. जीतेन्द्र पुत्र स्व. कैलाश आयु 35 वर्ष
3. भैरूसिंह पुत्र स्व. कैलाश आयु 37 वर्ष
   जाति गुर्जर निवासीगण प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. ग्राम पंचायत गाडराटा पं.स. खेतड़ी जिला झुन्झुनूं जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गाडराटा तहसील खेतड़ी।
5. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

...........रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतरकरण ओदश पटवारी हल्का प्रतापपुरा
दिनांक 07.03.2022 व स्वीकृत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गाडराटा
दिनांक 07.03.2022 नामांतरकरण संख्या 547 / 2022

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रोहिताश्व कुमार मनकस – अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री महेन्द्र छावड़ी – रेस्पोडेण्ट्स सं. 1 से 3 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांकः– 02–02–2023

अपीलाण्ट की ओर से अपील के आधारों से पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 201 रकबा 0.40 है. में अपीलाण्ट का 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आ रहा था जो वर्तमान में रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई है तथा इसी प्रकार ग्राम प्रतापपुरा में स्थित भूमि जमावन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 1635/192 रकवा 0.24 है., ख.नं. 192 रकबा 5.00 है. ख.नं. 197 रकवा 0.74 है., ख.नं. 198 रकवा 0.89 है., ख.नं. 199 रकबा 0.52 है., ख.नं. 200 रकबा 0.42 है., ख.नं. 202 रकबा 0.55 है., ख.नं. 203 रकवा

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ग्राम प्रतापपुरा स्थित खाता सं. 79 में दर्ज ख. नं. 201 रकबा 0.40 है.,

Scanned with OKEN Scanner

0.63 है., ख.नं. 204 रकबा 1.02 है., ख.नं. 205 रकबा 0.28 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.29 है. में अपीलाण्ट का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा था जो वर्तमान में रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई है जबकि मौके पर अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर बाहमी बंटवारे के हिसाब से अन्य सह खातेदारान के साथ में काबिज काश्त चला आ रहा है। कब्जे को लेकर कोई विवाद मौके पर नहीं है। स्व. कैलाश पुत्र सुरजा जाति गुर्जर निवासी ढाणी बैचावाली ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी का देहान्त दिनांक 23.04.2020 को हो चुका है जो अपीलाण्ट व मृतक दोनों एक ही नाम व वल्दियत के होने के कारण से अपीलाण्ट की भूमि को पटवारी हल्का द्वारा मृतक के वारिशान रेस्पोडेण्ट सं. 1 लगा. 3 के नाम से इंतकाल संख्या 547 दिनांक 07.03.2022 को पुर कर दिया गया जबकि रेस्पोडेण्ट का अपीलाण्ट की भूमि से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है ना ही मृतक तथा उसके वारिशान रेस्पोडेण्ट का मौके पर कोई कब्जा है। अपीलाण्ट कैलाश के रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 नाम के ना तो वारिशान है व मृतक तथा अपीलाण्ट दोनो अलग–अलग पूर्वजों के वंशज है। भूमि खाता संख्या 79 व 146 का रिकार्डेड खातेदार अपीलाण्ट है लेकिन गांव के ही रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 के पति/पिता श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री सुरजाराम निवासी ढाणी बैचावाली, ग्राम प्रतापपुरा की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेण्ट ने जरिये नामांतरकरण सं. 547 दिनांक 07.03.2022 में कैलाश चन्द पुत्र सुरजाराम को फौत दिखा कर अपने कैलाश पुत्र सुरजाराम (अपीलाण्ट) को छिपाकर अपने नाम विरासतन नामांतरकरण अवैध रूप से दर्ज करवा लिया जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 की वल्दियत अलग है व कैलाश चन्द पुत्र सुरजाराम व कैलाश पुत्र सुरजाराम (अपीलाण्ट) से दूर–दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने की प्रक्रिया में पूरी प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई है व किसी प्रकार की सूचना मजमें आम में करने का जारी नहीं किया गया है जिससे नामांतरकरण की कार्यवाही बाला–बाला की गई इसलिए नामांतरकरण निरस्त होने योग्य है। नामांतरकरण में यह कहीं भी दर्ज नहीं है कि उक्त नामांतरकरण के बारे में ग्राम पंचायत में कोई कार्यवाही हुई हो बल्कि पटवारी हल्का ने दिनांक 07.03.2022 को नामांतरकरण भरा लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली कि इस गांव में इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति भी मौजूद है जो जबकि उपरेक्त वर्णित खातेदारी की भूमि से रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 का कोई सम्बंध सरोकार भी नहीं है इससे भी स्पष्ट है कि उक्त नामांतरकरण फर्जी व कूट रचित तत्कालिन पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किया गया है इसलिए नामांतरकरण खारिज होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 79 के खसरा नंबर 201 रकबा 0.40 है. में अपीलाण्ट का 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 1635/192 रकबा 0.24 है., ख.नं. 192 रकबा 5.00 है., ख.नं. 197 रकबा 0.74 है., ख.नं. 198 रकबा 0.89 है., ख.नं. 199 रकबा 0.52 है., ख.नं. 200 रकबा 0.42 है., ख.नं. 202 रकबा 0.55 है., ख. नं. 203 रकबा 0.63 है., ख.नं. 204 रकबा 1.02 है., ख.नं. 205 रकबा 0.28 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.29 है. में अपीलाण्ट का 1/12 हिस्सा में अपीलाण्ट की खातेदारी में घोषित किया जावे। रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 का नाम हटाया जावे इसके लिए प्रतिवादी सं. 4 व 5 को भी आदेशित किया जावे।

(ख) रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 79 के खसरा नंबर 201 रकबा 0.40 है. में अपीलाण्ट का 1/16 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 1635/192 रकबा 0.24 है., ख.नं. 192 रकबा 5.00 है., ख.नं. 197 रकबा 0.74 है., ख.नं. 198 रकबा 0.89 है., ख.नं. 199 रकबा 0.52 है., ख.नं. 200 रकबा 0.42 है., ख.नं. 202 रकबा 0.55 है., ख. नं. 203 रकबा 0.63 है., ख.नं. 204 रकबा 1.02 है., ख.नं. 205 रकबा 0.28 है. कुल किता 10 कुल रकबा 10.29 है. में अपीलाण्ट का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द न करें व न ही किसी तरह से हस्तान्तरित करें व अपीलाण्ट की उक्त भूमि को काश्त करने में कोई बाधा न देवें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 की ओर से इकबाली जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट को अपील में वर्णित भूमि ग्राम प्रतापपुरा स्थित खाता सं. 79 में दर्ज ख.नं. 201 रकबा 0.40 है. में 1/16 हिस्सा व खाता सं. 146 कुल किता 10 कुल रकबा 10.29 है. में अपीलाण्ट को 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा हम रेस्पोडेण्ट्स सं. 1 लगा. 3 का नाम हटाया जावे इसके लिए हम रेस्पोडेण्ट सं. 1 लगा. 3 सहमत हैं।

रेस्पोडेण्ट्स सं. 3 व 4 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलाण्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति आधार कार्ड कैलाश, नकल नामांतरकरण सं. 547 प्रविष्टि दिनांक 02.03.2022, नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 146, खाता सं. 79 ग्राम प्रतापपुरा, फोटो प्रति वारिश प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गाडराटा, फोटो प्रति शपथ पत्र भैरू सिंह पुत्र स्व. कैलाशचन्द गुर्जर, मृत्यु प्रमाण पत्र कैलाश चन्द गुर्जर, जमबान्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 132 ग्राम प्रतापपुरा पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड नामान्तरकरण सं0 547 एवं जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 146, खाता सं. 79 व खाता सं. 132 ग्राम प्रतापपुरा का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण सं0 547 पटवारी हल्का गाडराटा द्वारा खातेदार कैलाश चन्द गुर्जर पुत्र सुरजा राम गुर्जर की मृत्यु होने पर विरासत के आधार पर पुर किया गया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक खेतड़ी ने अपनी जांच में मुताबिक विरासत शपथ पत्र अंकन सही होना अंकित किया है। अपीलाण्ट व मृतक दोनों एक ही नाम व वल्दियत के होने के कारण से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को पटवारी हल्का द्वारा मृतक कैलाश पुत्र सुरजा के वारिशान रेस्पोडेण्ट सं. 1 लगा. 3 के नाम से इंतकाल संख्या 547 दिनांक 07.03.2022 को पुर कर दिया गया जबकि उक्त मृतक कैलाश पुत्र सुरजा का भूमि खाता सं. 146, खाता सं. 79 ग्राम प्रतापपुरा से कोई सम्बंध सरोकार नहीं रहा है जिसकी पुष्टि रेस्पोटेण्ड्स सं. 1 लगा. 3 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब से होती है। ग्राम पंचायत के द्वारा विवादित भूमि के मौका कब्जा के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिनिधी नियुक्त कर मौका जांच रिपोर्ट का खुलासा करते हुए नामान्तरकरण की पुश्त पर विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलाण्ट जीवित है और वास्तविक रूप से नामांतकरण सं. 547 में अंकित विवादित भूमि पर कब्जा भी अपीलान्ट का ही है। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 547 की कार्यवाही न्याय संगत नहीं है, इसलिए नामांतकरण संख्या 547 पटवारी हल्का गाडराटा अपास्त किए जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 547 पटवार हल्का गाडराटा की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जाती है। तहसीलदार खेतड़ी को प्रकरण प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार कैलाश पुत्र सुरजा के विरासत नामांतरकरण की कार्यवाही राजस्व रिकार्ड व मौका कब्जा काश्त की जांच कर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पुनः नामान्तरकरण के संबंध में अपना निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner